wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

दिनांक : 12/03/2025

सेवा में,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय (लैण्ड शाखा),
नगर निगम जयपुर हैरिटेज
जयपुर, राजस्थान

विषयः– भूखण्ड संख्याः ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफलः 891.30 वर्ग मीटर के प्रस्तावित आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित, संशोधित भवन मानचित्र जमा करवाने बाबत् एवं प्राप्ति स्वीकार की सुचना (Acknowledgement) दिलवाने हेतु।

उपरोक्तानुसार मैं, हरीश कुमार कुमावत, मॉडल राजस्थान (शहर क्षैत्र) भवन विनियम 2020 के बिन्दू संख्या 20 के तहत पंजीकृत वास्तुविद् हूं। मेरा पंजीयन CTP Raj./Architect/2021/103 है। मेरे द्वारा भूखण्ड संख्याः ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफलः 891.30 वर्ग मीटर के प्रस्तावित आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित किये गये है। अनुमोदन प्रक्रिया के निम्नलिखित दस्तावेज आपको नियमानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं :–

1. प्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन व पहचान दस्तावेज की प्रति
2. भूखण्ड का गुगल मैप पर लोकेशन
3. भूखंड के फोटोग्राफ्स
4. लीज डीड व साइट प्लान
5. पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा जारी लीगल सर्च रिपोर्ट
6. आवश्यक Affidavits की मूल प्रति
7. मांग पत्र
8. मांग पत्र की जमा राशि की रसीद
9. श्रमिक उपकर (लेबर सैस) जमा राशि की रसीद (प्रथम वर्ष की निर्माण लागत के आधार पर)
10. अग्निशमन शुल्क (फायर सैस) जमा राशि की रसीद
11. भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र की प्रति
12. अनुमोदित भवन मानचित्रों की प्रति

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

पत्र क्रमांक : CTP/NNJH/HKK/2024/BPA/25/R1

दिनांक : 12/03/2025 के तहत अनुमोदित

भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

मैसर्स SHREE GANESH ENTERPRISES जरिये पार्टनर श्री अमन अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल

पता – फ्लैट न. एलजी–01, स्टिल्ट फ्लोर, प्लॉट न. बी–133 एवं बी–134, श्री निवास नगर, अपोजिट रोड न.6, वीकेआई एरिया, जयपुर, राजस्थान

विषयः– भूखण्ड संख्या ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफलः 891.30 वर्ग मीटर के आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित, संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफलः 891.30 वर्ग मीटर के आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित, संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र बाबत् योजना के ले–आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग आवासीय स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार, स्थिति व क्षैत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।

प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :–

i. भूखण्ड का नाप व क्षैत्रफल :– 891.30 वर्ग मीटर

ii. प्रस्तावित भवन का प्रयोजन :– **आवासीय**

iii. भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार पट्टे के अनुसार :– 40′-0″

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

iv. भवन के पैरामीटर साईट प्लान/भवन विनियमों के अनुसार :–

क्र. सं.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबैक (मी.)		
	(अ) सामने	(15') 4.5 मी.	(15') 4.57 मी.
	(ब) पार्श्व प्रथम	(15') 4.5 मी.	(15') 4.57 मी.
	(स) प्रार्श्व द्वितीय	(15') 4.5 मी.	(15') 4.57 मी.
	(द) पीछे	(15') 4.5 मी.	(15') 4.57 मी.
2.	आच्छादित क्षैत्र	सैटबैक क्षैत्र के अन्दर	सैटबैक क्षैत्र के अन्दर
3.	भवन की ऊँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या	18.00 मी. (B+S+G+5) STILT- 4.0 M	18.00 मी. (B+S+G+5) STILT- 4.0 M
4.	सकल निर्मित क्षैत्रफल	–	4458.63 वर्ग मी.
5.	बी.ए.आर. क्षैत्रफल	1782.60 वर्ग मी.	3732.40 वर्ग मी.
6.	पार्किंग: कुल	27 कार, 27 स्कूटर	27 कार, 27 स्कूटर
	(अ) स्टिल्ट पार्किंग	–	27 कार, 27 स्कूटर

फ्लोर एरिया का विवरण :–

तल	सकल निर्मित क्षेत्र	बी.ए.आर.
(A) बेसमेंट मंजिल	410.36 वर्ग मी.	410.66 वर्ग मी.
(B) स्टिल्ट मंजिल	568.53 वर्ग मी.	59.72 वर्ग मी.
(C) भू–तल मंजिल	568.53 वर्ग मी.	543.67 वर्ग मी.
(D) प्रथम मंजिल	568.53 वर्ग मी.	543.67 वर्ग मी.
(E) द्वितीय मंजिल	568.53 वर्ग मी.	543.67 वर्ग मी.
(F) तृतीय मंजिल	568.53 वर्ग मी.	543.67 वर्ग मी.
(G) चतुर्थ मंजिल	568.53 वर्ग मी.	543.67 वर्ग मी.
(H) पंचम मंजिल	568.53 वर्ग मी.	543.67 वर्ग मी.
(I) टेरेस फ्लोर	68.63 वर्ग मी.	NIL
कुल	**4458.63 वर्ग मी.**	**3732.40 वर्ग मी.**

भवन मानचित्र अनुमोदन स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ दी जाती है :–

1. भवन अनुज्ञा अवधि जारी दिनांक से 3 वर्ष अथवा भवन विनियम अनुसार प्रभावी रहेगी।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार अपशिष्ठ जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकलींग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

4. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार सौर ऊर्जा संयत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्र्जेवशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. आप द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
8. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
12. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
13. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
14. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
15. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच की जाए।
16. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होगें।
17. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
18. उक्त भूखण्ड सम्बंधित प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।
19. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
20. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

21. अग्निशमन N.O.C. एवं अन्य विभागों द्वारा आवश्यक सभी N.O.C. इत्यादि प्रार्थी द्वारा आवश्यक रूप से नियमानुसार प्राप्त की जानी है।
22. भवन निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद – पड़ौसी, ठेकेदार अथवा अन्य किसी भी विभाग इत्यादि के द्वारा हेतु भवन मालिक स्वयं जिम्मेदार रहेगा एवं उक्त कार्यो हेतु समस्त खर्चा भवन मालिक वहन करेगा।
23. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम जयपुर की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्ड धारी द्वारा नहीं किया जावें तथा मौके पर सड़क चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध हो।
24. भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान जयपुर रीजन भवन भवन विनियम – 2020 के मानदण्डों एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छिपाया गया है। मेरी सेवाएं व देखरेख में यदि भवन निर्माता, भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करवाया जायेगा।
25. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग से कोई भी कार्यवाही मेरे विरूद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना, भी शामिल होगा एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
26. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
27. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।
28. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ – पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के **आवासीय** प्रयोजनार्थ संशोधित मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्रों की प्रति का 1सेट (02 मानचित्र)

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–
1. श्रीमान् उपायुक्त महोदय (लैण्ड शाखा), नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर
2. संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय, जयपुर
3. Chief Fire Officer, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

दिनांक : 12/03/2025

सेवा में,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय (लैण्ड शाखा),
नगर निगम जयपुर हैरिटेज
जयपुर, राजस्थान

विषय:— भूखण्ड संख्या: ई—25, गोखले मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफल: 891.30 वर्ग मीटर के प्रस्तावित आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित, संशोधित भवन मानचित्र जमा करवाने बाबत् एवं प्राप्ति स्वीकार की सुचना (Acknowledgement) दिलवाने हेतु।

उपरोक्तानुसार मैं, हरीश कुमार कुमावत, मॉडल राजस्थान (शहर क्षैत्र) भवन विनियम 2020 के बिन्दू संख्या 20 के तहत पंजीकृत वास्तुविद् हूं। मेरा पंजीयन CTP Raj./Architect/2021/103 है। मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या: ई—25, गोखले मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफल: 891.30 वर्ग मीटर के प्रस्तावित आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित किये गये है। अनुमोदन प्रक्रिया के निम्नलिखित दस्तावेज आपको नियमानुसार प्रस्तुत किये जा रहे है :—

1. प्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन व पहचान दस्तावेज की प्रति
2. भूखण्ड का गुगल मैप पर लोकेशन
3. भूखंड के फोटोग्राफ्स
4. लीज डीड व साइट प्लान
5. पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा जारी लीगल सर्च रिपोर्ट
6. आवश्यक Affidavits की मूल प्रति
7. मांग पत्र
8. मांग पत्र की जमा राशि की रसीद
9. श्रमिक उपकर (लेबर सैस) जमा राशि की रसीद (प्रथम वर्ष की निर्माण लागत के आधार पर)
10. अग्निशमन शुल्क (फायर सैस) जमा राशि की रसीद
11. भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र की प्रति
12. अनुमोदित भवन मानचित्रों की प्रति

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

सत्यमेव जयते

Government of Rajasthan

Town Planning Department

Office of the Chief Town Planner, J.L.N Marg, Opp. Birla Mandir,
Jaipur (302004), Rajasthan.

Certificate of Registration

(Under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area)
Building Regulations, 2020)

Registration No.- CTP Raj. /Architect/ 2021/103

I hereby certify that Mr./Mrs. ..HARISH...KUMAR...KUMAWAT.......... is an Architect registered under Architect's Act, 1972 by the Council of Architecture, New Delhi (CA/.2016../.77777) practicing and having established office at..C-49,..BASEMENT.,.PARAS.MARG.,..NEAR..... .JANTA..STORE..CIRCLE.,.BAPU.NAGAR.,.JAIPUR........................ .... (Address) has been registered under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020. He/she is authorised to approve building plans for all land use/s having plot area upto 2500 sq.mt. (height up to 18.0 mt. in Large Towns & up to 15.0 mt. in Small and medium Towns) and to issue Completion Certificate & Occupancy Certificate for buildings constructed after following due process adhering to regulations of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020. This Registration No. CTP Raj. /Architect/ 2021/103is issued under my signature on date 27/04/2023 and is valid up to 26/04/2024

(Sandeep Dandwate)
Chief Town Planner,
Rajasthan, Jaipur.

Annexure-A

Name of Registered Architect:	Harish Kumar Kumawat	
CoA Registration no. :	CA/2016/77777	
Registration no. (issued by CTP, Raj.)	CTP Raj. /Architect/2021/**103**	
Renewal details as below:		
Signature & seal of authorised person for renewal of registration	Date of Renewal	Renewal Valid upto
संदीप दंडवते 6/5/2024 मुख्य नगर नियोजक	27.04.2024	26.04.2025

C:\Users\HP\Dropbox\Project Cell\For Registration of Architects\Renewal of Architects\Renewal Sheet.docx

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पीछे, बड़ी चौपड़, जयपुर)
(लैण्ड प्रकोष्ठ)

क्रमांक : एफ–6( )उपा.लैण्ड(सा.प्र.) / ननिजहै / 2024 / 2181 दिनांक– 25/11/2024

अभिस्वीकृति (ACKNOWLEDGEMENT)

(प्रारूप–य)

श्री बी.एस. रावत पुत्र श्री एच.एस. रावत,
श्री विनय मोहन गुप्ता पुत्र श्री जगमोहन बटवाडा,
शालिनी गुप्ता पुत्री श्री जगमोहन बटवाडा,
कुमारी शिंजिनी हल्दिया पुत्री श्री अभिषेक हल्दिया
जरिये संरक्षक पिता अभिषेक हल्दिया
पता– ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

विषयः– आवेदित भूखण्ड सं. ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर हेतु Empanelled Architect द्वारा अनुमोदित आवासीय भवन निर्माण मानचित्र दस्तावेजों की अभिस्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित भूखण्ड सं. ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनिकीविद आर्किटेक्ट श्री हरीश कुमार कुमावत (CA/2016/77777, CTP RAJ./Architects/ 2021/103) द्वारा दिनांक 23.09.2024 के प्रस्तुत अनुमोदित मानचित्र स्वीकृति बी+एस+जी+5 तल (18 मी. स्टिल्ट + 4.00 मी. ऊँचाई सहित कुल ऊँचाई = 22.00 मी.) कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, व पंजीकृत तकनिकीविद् द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार राशि व बेटरमेंट लेवी के उत्तर दिनांकित चैक निगम कोष में प्राप्त कर लिए गये हैं। अतः आप द्वारा पंजीकृत तकनिकीविद् से अनुमोदित मानचित्रों अनुसार भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन भवन विनियम–2020 के विनियम सं. 6(i) एवं 6(ii) के तहत् भूखण्ड पर निर्माण भवन विनियमों के अनुसार ही किया जाना होगा अन्यथा भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लघंन होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरीत निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा। स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेदारी आपकी रहेगी।

Validity unknown Signature valid

(हंसा मीणा)
उपायुक्त (लैण्ड)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

Digitally signed by Hansa Meena
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.11.25 ... 37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11983471

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

दिनांक : 23/09/2024

24/9/24

सेवा में,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय (लैण्ड शाखा),
नगर निगम जयपुर हैरिटेज
जयपुर, राजस्थान

विषयः– भूखण्ड संख्याः ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफलः 891.30 वर्ग मीटर के आवासीय प्रयोजनार्थ, अनुमोदित भवन मानचित्र जमा करवाने बाबत् एवं प्राप्ति स्वीकार की सुचना (Acknowledgement) दिलवाने हेतु।

उपरोक्तानुसार मैं, हरीश कुमार कुमावत, मॉडल राजस्थान (शहर क्षैत्र) भवन विनियम 2020 के बिन्दू संख्या 20 के तहत पंजीकृत वास्तुविद् हूं। मेरा पंजीयन CTP Raj./Architect/2021/103 है। मेरे द्वारा भूखण्ड संख्याः ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफलः 891.30 वर्ग मीटर के आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु भवन मानचित्र अनुमोदित किये गये है। अनुमोदन प्रक्रिया के निम्नलिखित दस्तावेज आपको नियमानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं :–

1. प्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन व पहचान दस्तावेज की प्रति
2. भूखण्ड का गुगल मैप पर लोकेशन
3. भूखंड के फोटोग्राफ्स
4. लीज डीड व साइट प्लान
5. पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा जारी लीगल सर्च रिपोर्ट
6. आवश्यक Affidavits की मूल प्रति
7. मांग पत्र
8. मांग पत्र की जमा राशि की रसीद
9. श्रमिक उपकर (लेबर सैस) जमा राशि की रसीद (प्रथम वर्ष की निर्माण लागत के आधार पर)
10. अग्निशमन शुल्क (फायर सैस) जमा राशि की रसीद
11. भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र की प्रति
12. अनुमोदित भवन मानचित्रों की प्रति
13. बेटरमेंट लेवी की राशि के उत्तर दिनांकित चेक (Post Dated Cheque) निम्नानुसार संलग्न है

क्र.सं.	बैंक का नाम	चैक नंबर	दिनांक	राशि रु. में	टिप्पणी
1.	पी.एन.बी. बैंक	904721	21/09/2025	17,96,304/–	संलग्न है
2.	पी.एन.बी. बैंक	904724	21/06/2026	17,96,304/–	संलग्न है
3.	पी.एन.बी. बैंक	904726	21/03/2027	17,96,304/–	संलग्न है
4.	पी.एन.बी. बैंक	904728	21/12/2027	17,96,304/–	संलग्न है
5.	पी.एन.बी. बैंक	904727	21/09/2028	17,96,304/–	संलग्न है

Ar. Harish Kumar Kumawat
C-49, Basement, Paras Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.- CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

पत्र क्रमांक : CTP/NNJH/HKK/2024/BPA/25

दिनांक : 23/09/2024 के तहत अनुमोदित

भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

श्री बी.एस.रावत पुत्र श्री एच.एस.रावत, विनय मोहन गुप्ता पुत्र श्री जगमोहन बटवाड़ा, शालिनी गुप्ता पुत्री श्री जगमोहन बटवाड़ा, कुमारी शिंजिनी हल्दिया पुत्री श्री अभिषेक हल्दिया जरिये संरक्षक अभिषेक हल्दिया

पता – ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान

विषय:– भूखण्ड संख्या ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफल: 891.30 वर्ग मीटर के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या ई–25, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफल: 891.30 वर्ग मीटर के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र बाबत् योजना के ले–आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग आवासीय स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार, स्थिति व क्षैत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।

प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :–

i. भूखण्ड का नाप व क्षैत्रफल :– 891.30 वर्ग मीटर
ii. प्रस्तावित भवन का प्रयोजन :– आवासीय
iii. भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार पट्टे के अनुसार :– 40'-0"

Ar. Harish Kumar Kumawat
C-49, Basement, Paras Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.- CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

iv. भवन के पैरामीटर साईट प्लान / भवन विनियमों के अनुसार :–

क्र. सं.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
	सैटबैक (मी.)		
1.	(अ) सामने	(15') 4.5 मी.	(15') 4.57 मी.
	(ब) पार्श्व प्रथम	(15') 4.5 मी.	(15') 4.57 मी.
	(स) प्रार्श्व द्वितीय	(15') 4.5 मी.	(15') 4.57 मी.
	(द) पीछे	(15') 4.5 मी.	(15') 4.57 मी.
2.	आच्छादित क्षैत्र	सैटबैक क्षैत्र के अन्दर	सैटबैक क्षैत्र के अन्दर
3.	भवन की उँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या	18.00 मी. (B+S+G+5) STILT- 4.5 M	18.00 मी. (B+S+G+5) STILT- 4.5 M
4.	सकल निर्मित क्षैत्रफल	—	4429.77 वर्ग मी.
5.	बी.ए.आर. क्षैत्रफल	1782.60 वर्ग मी.	3653.75 वर्ग मी.
6.	पार्किंग: कुल	26 कार, 26 स्कूटर	26 कार, 26 स्कूटर
	(अ) स्टिल्ट पार्किंग	—	26 कार, 26 स्कूटर

फ्लोर एरिया का विवरण :–

तल	सकल निर्मित क्षेत्र	बी.ए.आर.
(A) बेसमेंट मंजिल	421.72 वर्ग मी.	410.66 वर्ग मी.
(B) स्टिल्ट मंजिल	563.62 वर्ग मी.	4.05 वर्ग मी.
(C) भू–तल मंजिल	563.62 वर्ग मी.	539.84 वर्ग मी.
(D) प्रथम मंजिल	563.62 वर्ग मी.	539.84 वर्ग मी.
(E) द्वितीय मंजिल	563.62 वर्ग मी.	539.84 वर्ग मी.
(F) तृतीय मंजिल	563.62 वर्ग मी.	539.84 वर्ग मी.
(G) चतुर्थ मंजिल	563.62 वर्ग मी.	539.84 वर्ग मी.
(H) पंचम मंजिल	563.62 वर्ग मी.	539.84 वर्ग मी.
(I) टैरेस फ्लोर	62.71 वर्ग मी.	NIL
कुल	4429.77 वर्ग मी.	3653.75 वर्ग मी.

भवन मानचित्र अनुमोदन स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :–

1. भवन अनुज्ञा अवधि जारी दिनांक से 3 वर्ष अथवा भवन विनियम अनुसार प्रभावी रहेगी।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकलींग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

Ar. Harish Kumar Kumawat
C-49, Basement, Paras Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg. - CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

4. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार सौर ऊर्जा संयत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जेंवेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. आप द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
8. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हो।
10. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
12. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
13. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
14. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
15. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच की जाए।
16. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होगें।
17. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
18. उक्त भुखण्ड सम्बंधित प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
19. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
20. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

Ar. Harish Kumar Kumawat
C-49, Basement, Paras Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg. - CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

21. अग्निशमन N.O.C. एवं अन्य विभागों द्वारा आवश्यक सभी N.O.C. इत्यादि प्रार्थी द्वारा आवश्यक रूप से नियमानुसार प्राप्त की जानी है।
22. भवन निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद – पड़ौसी, ठेकेदार अथवा अन्य किसी भी विभाग इत्यादि के द्वारा हेतु भवन मालिक स्वयं जिम्मेदार रहेगा एवं उक्त कार्यों हेतु समस्त खर्चा भवन मालिक वहन करेगा।
23. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण /नगर निगम जयपुर की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्ड धारी द्वारा नहीं किया जावें तथा मौके पर सड़क चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध हो।
24. भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान जयपुर रीजन भवन भवन विनियम – 2020 के मानदण्डों एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छिपाया गया है। मेरी सेवाएं व देखरेख में यदि भवन निर्माता, भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करवाया जायेगा।
25. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जावे तो सम्बन्धित विभाग से कोई भी कार्यवाही मेरे विरूद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना, भी शामिल होगा एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
26. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभन्न आवश्यक शपथ – पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र।

Ar. Harish Kumar Kumawat
C-49, Basement, Paras Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.- CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान् उपायुक्त महोदय (लैण्ड शाखा), नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर
2. संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय, जयपुर
3. Chief Fire Officer, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

Ar. Harish Kumar Kumawat
C-49, Basement, Paras Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.- CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

SHEET NO.-01

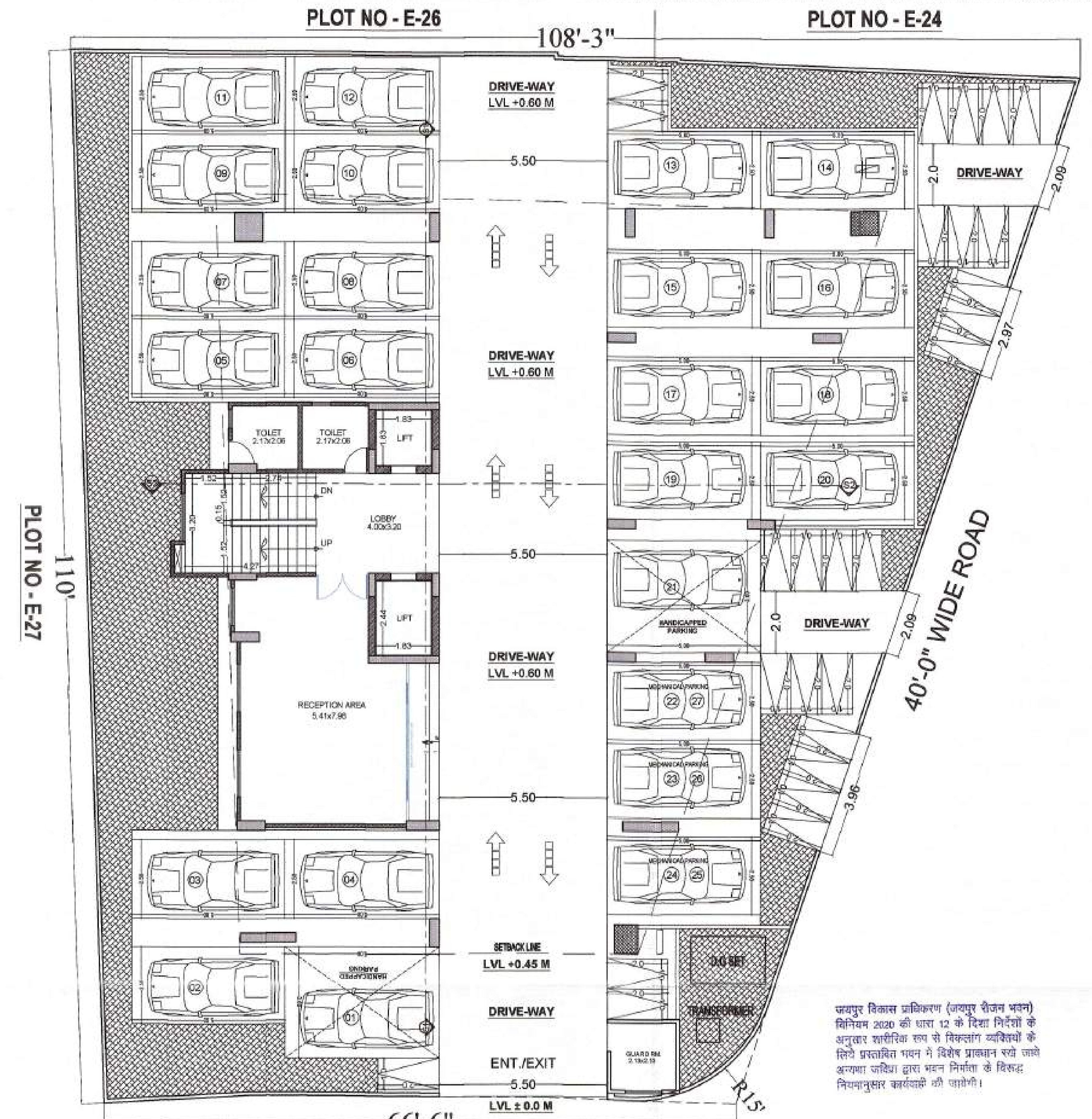

STILT FLOOR & PARKING PLAN

40'-0" WIDE ROAD

GROUND, 1st,2nd,3rd,4th FLOOR PLAN

5th FLOOR PLAN

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जावेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व सम्बंधि अधिकारी ही प्रमाणित होंगे। नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Strucutre) का दायित्व प्रार्थी का होगा।

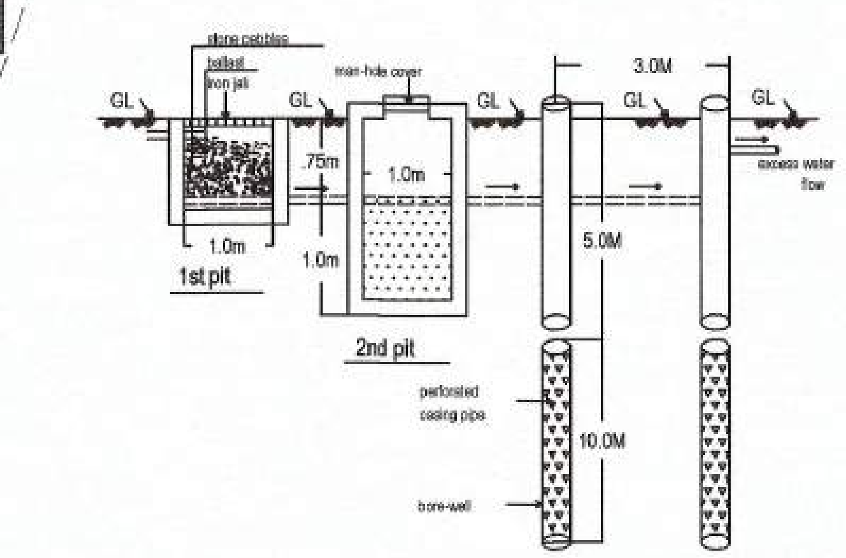

SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संरक्षक का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन मे विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पत्र क्रमांक CTP/NN1H/HKK/2024/BPA/25/R1
दिनांक 12.05.25 के तहत अनुमोदित

S.NO.	REFERENCE	
1	TOTAL PLOT AREA = 1066.0 SQ.YD. ~ 891.30 SQ.M.	
2	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACKS	
3	PROPOSED HEIGHT OF BUILDING = STILT (4.00) +18.0 M	
4	REQUIRED GREEN AREA (10%) = 89.13 SQMT	
5	PROPOSED GREEN AREA = 102.77 SQMT	
6	REQ. PARKING	
	RESIDENTIAL	1 ECU PER 115 SQ.M. RESIDENTIAL AREA = 3732.40 / 115 = 32.45 ECU+(10% VISITOR PARKING) TOTAL PARKING = 35.69 ECU (75% CAR, 25% SCOOTER) 75% ~ 26.76 ECU ~ 27 CARS 25% ~ 8.92 ECU x 3 ~ 27 SCOOTERS
	TOTAL REQUIRED	= 27 CAR = 27 SCOOTERS
7	PROVIDED PARKING	
	CARS = 27 CARS SCOOTERS = 27 SCOOTERS	

B.A.R. CALCULATION:
PERMISSIBLE B.A.R. = PLOT AREA x B.A.R. = 891.30 x 2.0 **= 1782.6 SQ.M.**
PROPOSED BUILT UP AREA COUNTABLE UNDER B.A.R. **= 3732.40 SQ.M. BUILT UP AREA**
PURCHASABLE B.A.R.= = PROPOSED B.A.R. - PERMISSIBLE B.A.R. **= 3732.40 - 1782.60** **= 1949.80 SQ.M.**

AREA STATEMENT

S.No.	FLOOR	GROSS BUILT UP AREA	ARCHITECTURAL ELEMENT AREA	CUTOUT AREA (LIFT) (3.34+4.46) = 7.80	BUILT UP AREA
		A	B	B	C
1	BASEMENT	410.36	--	8.95	410.66
2	STILT FLOOR	568.53	15.91	8.95	59.72 (TOILET+GAURD RM.+RECE.)
3	GROUND FLOOR	568.53	15.91	8.95	543.67
4	FIRST FLOOR	568.53	15.91	8.95	543.67
5	SECOND FLOOR	568.53	15.91	8.95	543.67
6	THIRD FLOOR	568.53	15.91	8.95	543.67
7	FOURTH FLOOR	568.53	15.91	8.95	543.67
8	FIFTH FLOOR	568.53	15.91	8.95	543.67
9	TERRACE FLOOR	68.56			——
	TOTAL	**4458.63**	111.37	71.60	**3732.40**

(SCALE :- 1:200)
SITE PLAN & WATER HARVESTING PLAN

BASEMENT FLOOR PLAN

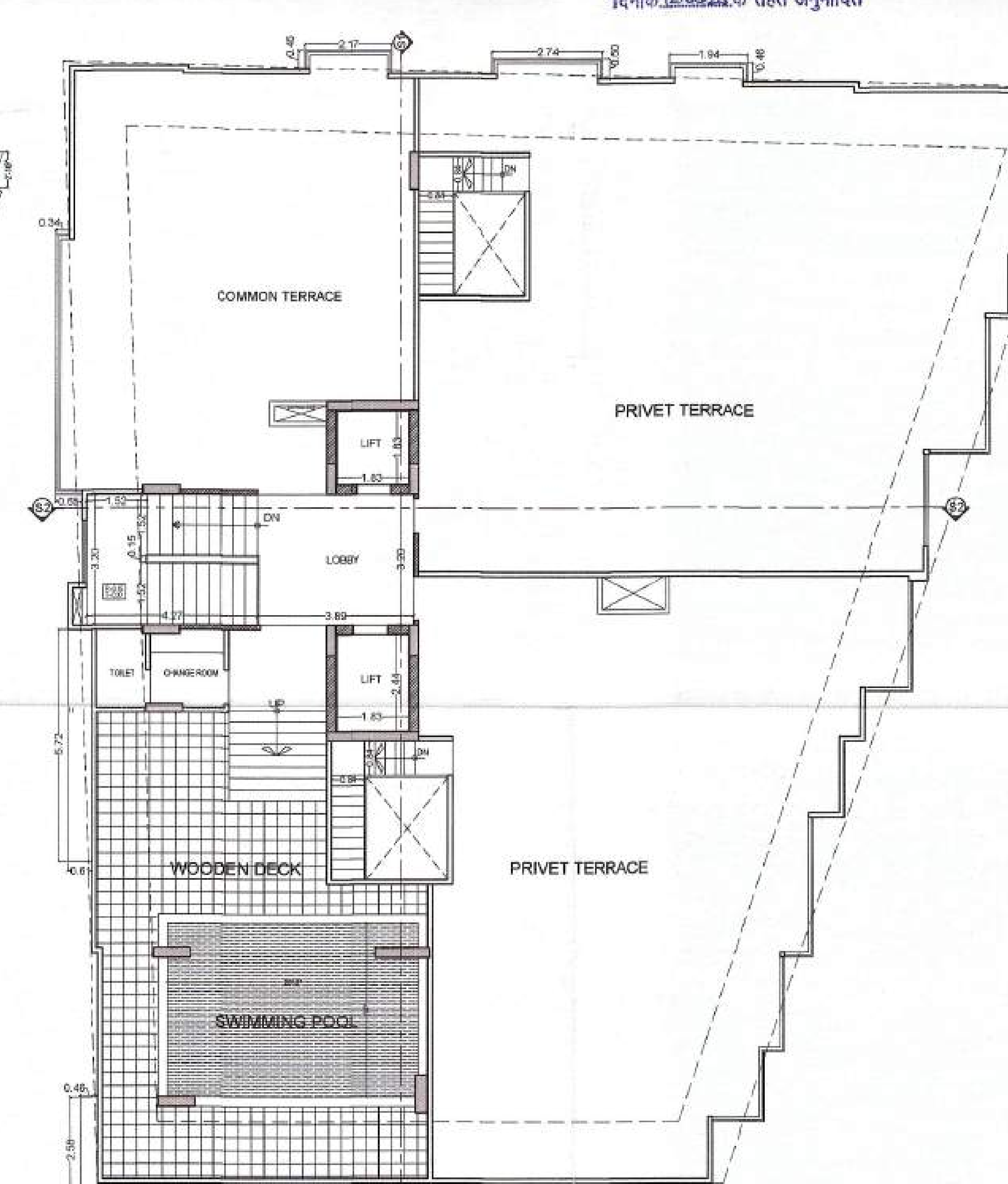

TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित
पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ।

SUBMISSION

DRAWING TITLE :-
FLOOR PLANS, AREA CALCULATIONS

SCALE :-	NORTH
1 : 100	N W E S

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. E-25, GOKHLE-LAJPAT MARG, C-SCHEME, JAIPUR, RAJASTHAN

OWNER

For SHRI GANESH ENTERPRISES
Aman Agarwal
PARTNER

REGISTERED ARCHITECT / APPROVAL AUTHORITY

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

LEFT SIDE ELEVATION

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संग्रहक का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

REAR SIDE ELEVATION

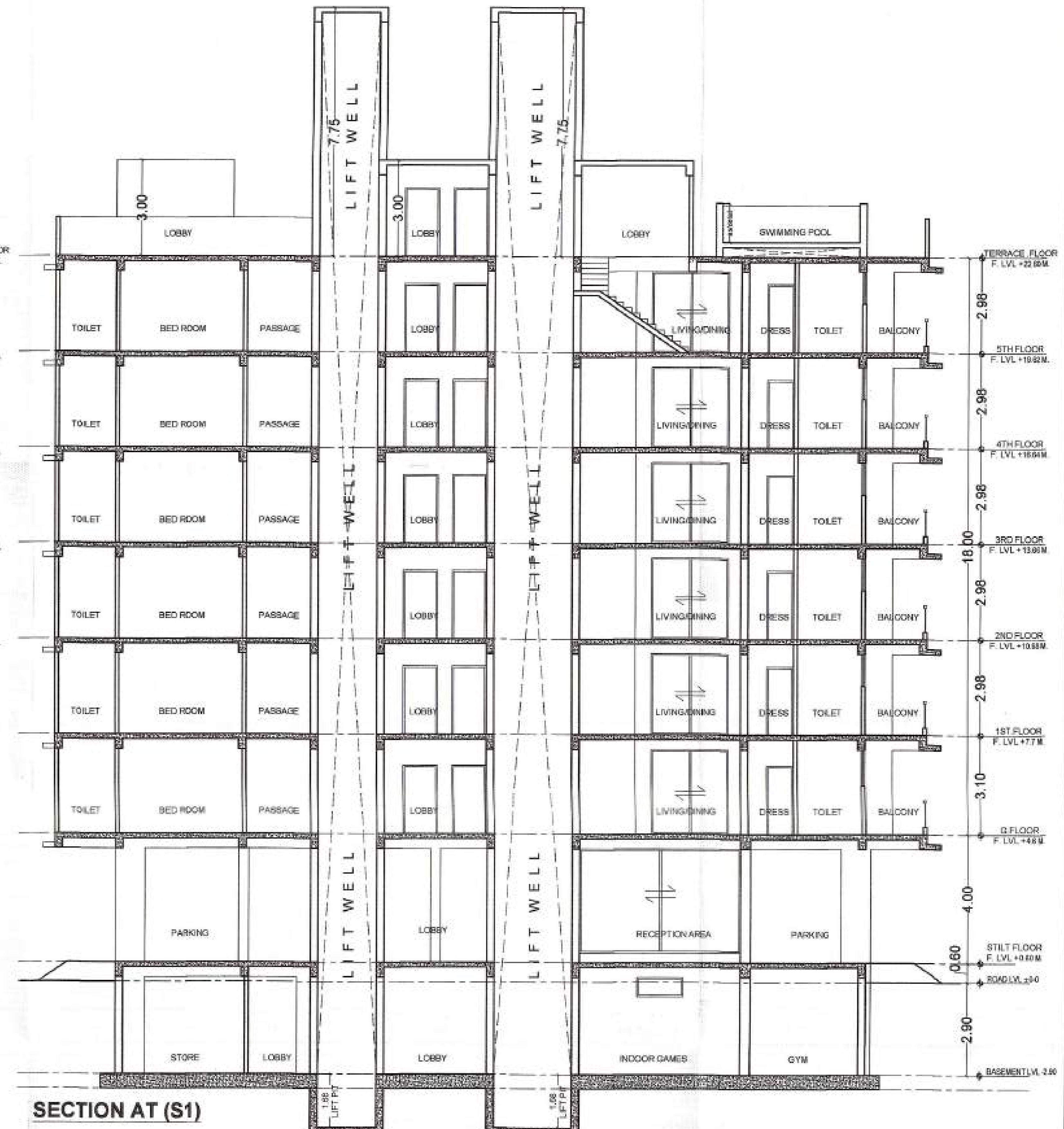

SECTION AT (S1)

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व सम्पत्ति अधिकारी ही प्रमाणित होंगे। नीचे दिये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Strucutre) का दायित्व धारी का होगा।

पत्र क्रमांक CTP/NMH/HKK/2024/BPA/25/R1
दिनांक 12.03.25 के तहत अनुमोदित

अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।

FRONT SIDE ELEVATION

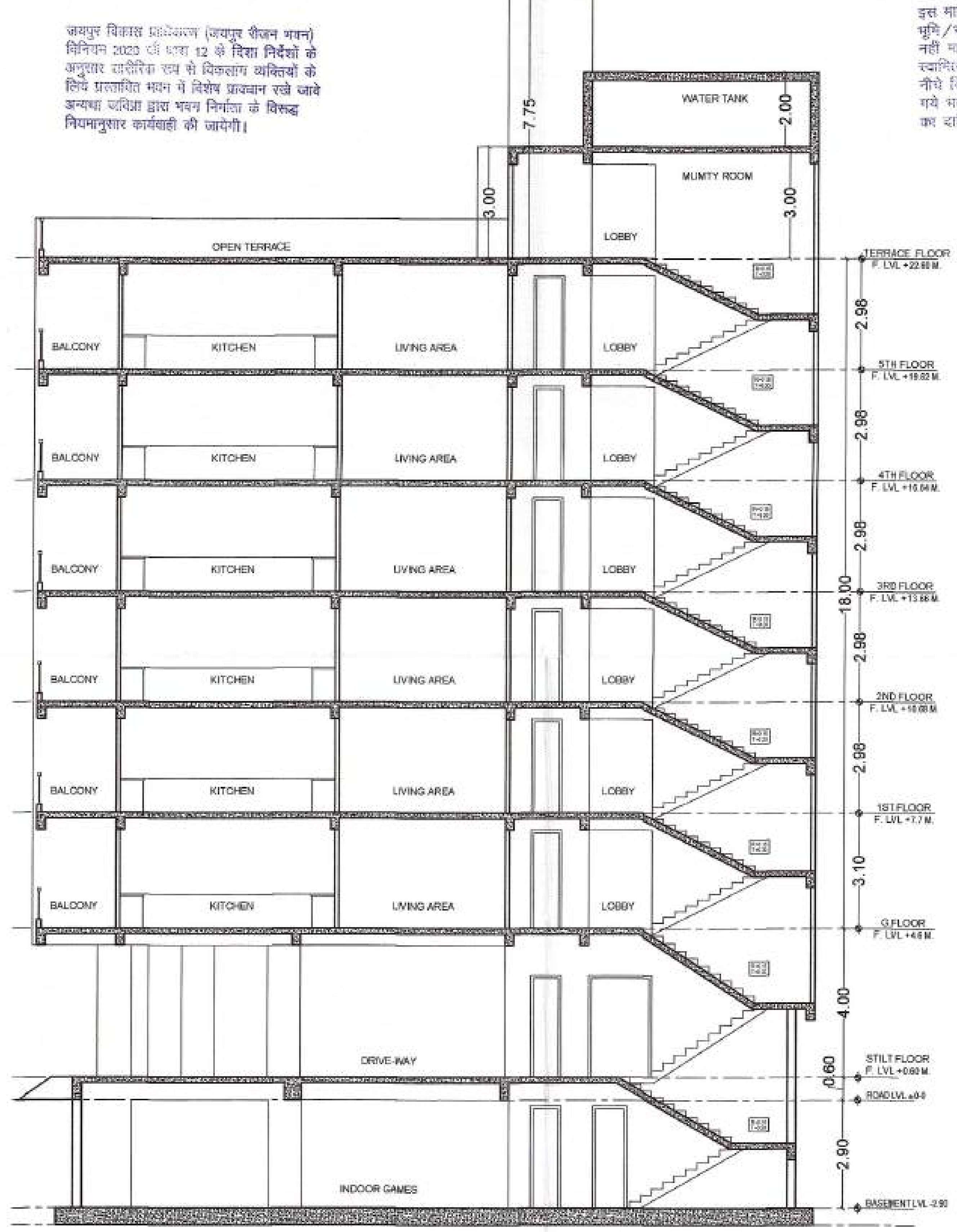

SECTION AT (S2)

RIGHT SIDE ELEVATION

SUBMISSION

DRAWING TITLE :-
ELEVATIONS, SECTIONS

SCALE :- 1 : 100

NORTH
N
W E
S

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. E-25, GOKHLE-LAJPAT MARG, C-SCHEME, JAIPUR, RAJASTHAN

OWNER
For SHRI GANESH ENTERPRISES
Aman Agarwal
PARTNER

REGISTERED ARCHITECT / APPROVAL AUTHORITY

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur 302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103